न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी डॉ.नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 01/2021 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– विश्वजीत कस्वां पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार कस्वां निवासी वार्ड नं. 9, ढाकावाली तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री राजेन्द्रसिंह शिमला: अभिभाषक अपीलांट

राज्य पक्ष की ओर से : सहायक लोक अभियोजक,

निर्णय

दिनांक : 15.02.2022

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 21.05.2019, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट स्वंय दी नेशनल राईफल ऐसोसियेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली का आजीवन सदस्य होने तथा उसे खेल प्रतियोगिताओं के लिये पूर्वाभ्यास एवं खेलों में भाग लेने के लिये शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता होने पर अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी कराने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष आवेदन किया था। जिला मजिस्ट्रेट, चूरू ने अपने आदेशात्मक पत्र क्रमांक 3185 दिनांक 21.05.2019 द्वारा अपीलांट के आवेदन पत्र को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया कि ''प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि शस्त्र आवश्यकता का कोई ठोस आधार नहीं है तथा जीवन को खतरे संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में शस्त्र लाईसेंस जारी करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है।'' जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री राजेन्द्र सिंह शिमला ने वहस में मुख्य कथन किया कि अपीलांट दी नेशनल राईफल ऐसोसियेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली का आजीवन सदस्य क्रमांक L–7815 है और उसे खेल प्रतियोगिताओं के लिये पूर्वाभ्यास एवं खेलों में भाग लेने के लिये शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बिना शस्त्र अनुज्ञा पत्र के अपीलांट भाग नहीं ले सकता और बिना लाईसेंस से अभ्यास किया जाना भी संभव नहीं हैं, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं किया और अपीलांट को बिना सुने ही उसका आवेदन पत्र निरस्त करने संबंधी आदेश पारित कर दिया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उसने अपने जीवन को खतरे से संबंधित भी कोई सबूत पेश नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5. प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2019 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 03.02.2021 को प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम प्रर्थना पत्र व शपथ पत्र में जो कारण अभिलिखित किये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में मुख्यतः अपीलांट दी नेशनल राईफल ऐसोसियेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली का आजीवन सदस्य क्रमांक L–7815 है और उसे खेल प्रतियोगिताओं के लिये पूर्वाभ्यास एवं खेलों में भाग लेने के लिये शस्त्र अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों से भी यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट राष्ट्रीय स्तर का पंजीकृत खिलाड़ी है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी जो आदेश पारित किया है, वह स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट को आवेदन पत्र निरस्त किये जाने के संबंध में जरिये पत्रांक 3185 दिनांक 21.05.2019 को सूचित किया गया है। पत्रावली पर भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश नैसर्गिक न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. **उपरोक्त** तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अपीलांट के हितों को देखते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. तदअनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 15.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.नीरज के.पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर